कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/वो–2/2021 दिनांक 29.09.2021 द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल, प्रधानाचार्य, राउमावि तीतरवाड़ा कला जिला दौसा का स्थानान्तरण राउमावि जनाना, मूण्डवा जिला नागौर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 4630/2021 दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2021 द्वारा अपीलार्थी को रिक्त पद प्रदर्शित करते हुए प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष 20 दिवस के भीतर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन प्राप्ति के 30 दिवस की अवधि में उसे विधि अनुसार, विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसरण में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने एवं उक्त निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक आलोच्य आदेश दिनांक 29.09.2021 का क्रियान्वयन माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित रखा गया।

माननीय अधिकरण के निर्णय के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के गंभीर एवं असाध्य रोग (POLY ARTERITIS NODOSA) से पीडित होने को दृष्टिगत रखते हुए अपना समायोजन जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, दौसा/अति. जिशिअ (प्रारम्भिक) दौसा/वरिष्ठ व्याख्याता, डाईट, बसवा जिला दौसा (प्रधानाचार्य समकक्ष)/राउमावि चोरडी जिला दौसा अथवा राउमावि तीतरवाडा कला जिला दौसा में प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने का निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश दिनांक 24.09.2019 जो पूर्व के समस्त दिशा निर्देशों के अधिक्रमण में जारी किये गए हैं, में हृदय शल्य चिकित्सा, कैंसर व गुर्दा प्रत्यारोपण जैसे गंभीर एवं असाध्य रोग से पीडित कार्मिकों को ही स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश प्राप्त हैं। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा प्रशासनिक आवश्यकता/विभागीय प्राथमिकता/राज्य एवं विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। अन्यत्र स्थानान्तरित/पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोक सेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता। उक्तानुसार अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर दोहरे पदस्थापन की स्थिति को समाप्त किया जाता है। श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि जनाना, मूण्डवा जिला नागौर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें। सभी पक्षकार सूचित हों।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(काना राम)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/राजेन्द्र गोयल/4630/2021 दिनांकः 14/03/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/अजमेर संभाग, जयपुर/अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, दौसा/नागौर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक दौसा/नागौर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, दौसा को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल को स्थानान्तरित स्थान हेतु कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. राजेन्द्र प्रसाद गोयल, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि जनाना, मूण्डवा जिला नागौर।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Scanned with CamScanner